



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-393 राँची, बुधवार,

4 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 जुलाई, 2021

संख्या-5/आरोप-1-17/2019-14676-- (HRMS) चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री बालेश्वर राम, झा०प्र०से० (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-चतरा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के विरुद्ध ग्राम-हरहद, थाना सं०-117 के अन्तर्गत खाता सं०-172, प्लॉट सं०-2367, रकबा-33.00 एकड़ का पंजी-II के पृष्ठ संख्या-184, भौल्युम-II में प्रविष्टि बृजनंदन विश्वकर्मा, पिता-दहन मिस्त्री एवं खाता सं०-172, प्लॉट सं०-2368, रकबा-34.00 एकड़ का पंजी-II के पृष्ठ संख्या-185, भौल्युम-II में प्रविष्टि मालती देवी, पति- बृजनंदन विश्वकर्मा के नाम से Jharbhoomi Portal पर अपने Digital Signature, Login ID एवं Password के माध्यम से नया पृष्ठ create करते हुए ऑनलाईन जमाबंदी करने, तथ्यों को छुपाने, नियमविरुद्ध कार्य करने, गलत मंशा एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, हजारीबाग के ज्ञापांक-160/स्था०, दिनांक 02.02.2019 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री राम के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री राम को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री राम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री राम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, हजारीबाग को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री बालेश्वर राम, झा०प्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BALESHWAR RAM JHK/JAS/280	श्री बालेश्वर राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के संबंध में।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
